-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 05.11.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2023 में थाना बिसण्डा क्षेत्र में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 12-12 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"आपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2023 में थाना बिसण्डा क्षेत्र अन्तर्गत एक गांव में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 02 अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना बबेरु क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने दिनांक 08.07.2023 को थाना बिसण्डा पर सूचना दी कि दिनांक 07.07.2023 को उनकी नाबालिग पुत्री घर से नाराज होकर अपने दीदी-जीजा के घर थाना खन्ना जनपद महोबा जा रही थी। रात्रि करीब 08.00 बजे ग्राम सया थाना बिसण्डा के पास उससे दो युवक मोटरसाइकिल से मिले जिन्होने लड़की को उसके दीदी के घर पहुंचाने की बात कहीं। लड़की ने दोनों की जरिए फोन अपनी दीदी से बात कराई जब उसकी दीदी आश्वस्त हो गई तो लड़की दोनों के साथ मोटरसाइकिल पर चल दी। दोनों व्यक्तियों नें ग्राम घूरी थाना बिसण्डा के पास सूनसान स्थान पर जान से मारने की धमकी देकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को दिए तथा लड़की को बांदा लाकर छोड़ दिए। इस संबंध में थाना बिसण्डा पर **मु0अ0सं0 275/23 धारा 376डी/506 भा0द0वि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट** पंजीकृत किया गया जिसकी **विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष बिसण्डा श्री कृष्णदेव त्रिपाठी** द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा गहनता एवं प्रभावपूर्ण तरीके से तकनीकि एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन करते हुए दोनों अभियुक्तों **1. बाबूलाल पुत्र रामपाल निवासी सया थाना बिसण्डा जनपद बांदा व 2. सुरेन्द्र पुत्र राममनोहर निवासी भरकरी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा** की पहचान करते हुए दोनों अभियुक्तों को दिनांक 11.07.2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचक श्री कृष्णदेव त्रिपाठी द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 15.07.2023 को **रिकार्ड मात्र 07 दिवस के भीतर आरोप पत्र मा0 न्यायालय** में दाखिल किया गया। लोक अभियोजक श्री कमल सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी पुनिति भदौरिया व आरक्षी जितेन्द्र सिंह तथा पैरोकार आरक्षी राजन अग्निहोत्री के अथक प्रयासों से दोनों अभियुक्तों को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट बांदा द्वारा **20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 12-12 हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. बाबूलाल पुत्र रामपाल निवासी सया थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
2. सुरेन्द्र पुत्र राममनोहर निवासी भरकरी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।